

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट

यातायात विभाग
दिनांक 03.02.2011

सभी संबंधित

विषय: केओपीटी एनएसडी एंब्लेंस की नान पोर्ट डोक कर्मचारियों के लिए मूल्य पर यातायात सुविधा का विस्तार

सक्षम प्राधिकरण द्वारा केओपीटी एनएसडी एंब्लेंस की नान पोर्ट डोक कर्मचारियों के लिए मूल्य पर यातायात सुविधा के उपलब्धता के आधार पर विस्तार के लिए निर्णय लिया गया है। नियमित रूप से पोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को साइट पर निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण विवरणों के साथ अनुरोध उपलब्ध कराना होगा।

आपात स्थिति में यदि एक एंब्लेंस पंजीकृत पोर्ट यूजर द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उसे निम्न प्रक्रिया के पालन के बाद अनुमति मिलेगी :

1. एंब्लेंस सेवाएं केवल डोक क्षेत्र में घायल/बीमार होने की आपात स्थिति में उपलब्ध होंगी और एनएसडी फायर स्टेशन के साथ निर्धारित अनुरोध के साथ एक नियमित पोर्ट यूजर द्वारा रिक्वजेशन पर दी जाएंगी। शुल्कों को बिल किए जाने के बाद कार्योत्तर वसूल किया जाएगा।
2. प्रपत्र चौबीस घंटे उपलब्ध होने चाहिए।
3. एंब्लेंस की सेवाएं पोर्ट कर्मचारियों के लिए वरीयता आधार पर उपलब्धता के अधीन होंगी। एंब्लेंस से अभिप्राय केवल यातायात और वाहन में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा से है। केओपीटी की ओर से इसमें किसी अन्य प्रकार की बाध्यता शामिल नहीं है।
4. आपात स्थिति का जोर डालते हुए एंब्लेंस को रोका नहीं जा सकता।

5. ँबूलेस का ड्राइवर/आपरेटर बिल बनाने के लिए समयए किलोमीटर और प्रदान की गई अन्य किसी सुविधा का ब्यौरा रखने के लिए लाग-बुक बनाएगा।

6. ँबूलेस शुल्कों के लिए अनिवार्य बिल सिक्यूरिटी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा अग्निशमन अधीक्षक एनएसडी द्वारा जारी किया जाएगा।

गौतम चक्रबर्ती
महाअधीक्षक
यातायात प्रबंधन हेतु